न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—196/2016/223 (2016/00196)

1. बद्रीनारायण पुत्र हनुमान,
2. रामेश्वर पुत्र हनुमान,
3. रामस्वरूप पुत्र हनुमान,
4. श्रीमती गुलाब पत्नि हनुमान,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम मोखमपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंट

2. रामजीलाल पुत्र हनुमान, जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू, जिला जयपुर दिनांक 30.12.2015 अंतर्गत वाद संख्या 446/2012 पुनः दर्ज 454/2013.

उपस्थितः—

1. श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री लोकपालसिंह, वकील तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 18.10.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूद के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 ने अधी0न्याया0 में एक वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती इंद्राज का इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 स्व0 हनुमान के वारिसान है तथा स्व0 हनुमान की आराजियात ग्राम मौखमपुरा में स्थित है जिस पर काबिज काश्त है । आराजी खसरा नंबर 2541 नवीन खसरा नंबर 169 रकबा 0.29 है0 एवं खसरा नंबर 170 पुराने खसरा नंबर 2542 रकबा 0.42 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 उक्त

आराजियात पर बजमाने हनुमान के जीवनकाल से ही काबिज ाकश्त है तथा कुंआ का उपयोग उपभोग करते आ रहे है । राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नंबर नंबर 170 पुराने खसरा नंबर 2542 जिसका रकबा 1 बीघा दर्ज है जबकि राजस्व नक्शा के मुताबिक 2 बीघा होता है तथा सर्वे पहले होता है तथा उसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अंकन होता है जिससे आराजी खसरा नंबर 2542 नवीन खसरा नंबर 170 में नक्शे के मुताबिक नहीं कर खसरा नंबर 2542 नवीन खसरा नंबर 170 रकबा 1 बीघा दर्ज कर दिया एवं खसरा नंबर 2541 नवीन खसरा नंबर 169 में 1 बीघा 3 बिस्वा दर्ज कर दिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण का नोटिस जारी किया जाता रहा है लेकिन आराजी खसरा नंबर 169 पुराने खसरा नंबर 2541 जो नक्शा में 3 बिस्वा है जिस बाबत् नियमन करवाने हेतु राजस्व कैम्प तहसीलदार, मौजमाबाद एवं जिलाधीश, जयपुर के यहां कई बार आवेदन पेश किया जिस पर जिलाधीश, जयपुर द्वारा तहसीलदार, मौजमाबाद से मौके पर रिकार्ड की पूर्ण स्थिति मंगवाई गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकन हुआ कि खसरा नंबर 170 पुराने खसरा नंबर 2542 का रकबा मुताबिक नक्शा 2 बीघा है तथा खसरा नंबर 169 पुराने खसरा नंबर 2541 का रकबा 3 बिस्वा है । वादीगण के नियमन कराने हेतु ग्राम पंचायत, मौखमपुरा ने भी एन0ओ0सी0 दिनांक 15.5.2008 को जारी कर रखी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त कुआं एवं आराजियात पर करीबन 40–50 वर्षो से अर्थात् प्रथम सेटलमेंट से ही काबिज है तथा कुआं से सिंचाई आदि करते है । उक्त खसरा नंबर 169, 170 में हुए गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बार–बार पेरशान किया जाता है जबकि गलत अंकन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया है । प्रतिवादी संख्या 2 एवं वादीगण का समान अधिकार है । अन्त में वादीगण ने अनुतोष चाहा कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री इस अमर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नंबर 169 व 170 पुराने खसरा नंबर 2541 व 2542 को दुरूस्त कर पुराने नक्शे के बाबत् रकबा खसरा नंबर 2542 वर्तमान खसरा नंबर 170 रकबा 0.25 है0 की जगह 0.50 है0 अर्थात् 2 बीघा एवं खसरा नंबर 169 में 0.03 बिस्वा दर्ज किया जावे एवं वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री पारित कर ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नंबर 169 रकबा 0.29 है0 सिवायचक में से 0.03 बिस्वा गै0मु0 चाह एवं शेष भूमि 0.26 है0 सिवायचक दर्ज किये जाने तथा खसरा नंबर 170 बाबत् चाहा गया अनुतोष खारिज किये जाने की डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलांटस द्वारा वादपत्र में स्पष्ट अंकित किया गया था कि आराजी साबिक खसरा नंबर 2542 हाल खसरा नंबर 170 रकमबा 1 बीघा दर्ज कर रखा है जबकि राजस्व नक्शा के मुताबिगक 2 बीघा होता है । राजस्व रिकार्ड में अंकन नक्शा के मुताबिक नहीं है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । उक्त तथ्य राजस्व रिकार्ड से भी पूर्णतया साबित है इसके बावजूद भी अधी0न्याया0

द्वारा वादपत्र में खसरा नंबर 170 बाबत् चाहा गया अनुतोष खारिज किए जाने जाने में भारी अवैधानिकता बरती है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 2541 हाल खसरा नंबर 169 जो नक्शा में 0.03 बिस्वा है जिस बाबत् नियमन कराने हेतु राजस्व कैम्प तहसीलदार, मौजमाबाद एवं जिलाधीश, जयपुर के यहां कई बार आवेदन पेश किया गया जिस पर जिलाधीश, जयपुर द्वारा तहसीलदार, मोजमाबाद से मौके पर रिकार्ड की पूर्ण स्थिति मंगवाई गई जिससे स्पष्ट रूप से अंकन हुआ कि साबिक खसरा नंबर 2542 हाल खसरा नंबर 170 का रकबा मुताबिक नक्शा 2 बीघा है तथा साबिक खसरा नंबर 2541 हाल खसरा नंबर 169 का रकबा 0.03 बिस्वा है । वादीगण के नियमन हेतु ग्राम पंचायत, मौखमपुरा ने भी एन0ओ0सी0 दिनांक 15.5.2008 को जारी कर रखी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त कुआं एवं आराजी पर करीब 40–50 वर्षो से अर्थात् प्रथम सेटलमेंट से ही कब्जा है तथा कुआं से सिंचाई आदि करते है । उक्त आधार पर वादीगण/अपीलांटस का वाद पूर्णतया डिक्री किये जाने योग्य था । वादीगण विवादित आराजियात पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे वादीगण विवादित आराजियात को वाद पत्र अनुसार दुरूस्त करवाकर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है, लेकिन अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी रूप से वादीगण का वाद पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार न करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को समझे बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 को दुरूस्त किया जाकर वादीगण का वाद पूर्ण रूप से डिक्री किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर िनवेदन किया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण से कह रखा था कि उन्हें हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है । जब भी प्रार्थीगण की आवश्यकता होगी अभिभाषक द्वारा सूचना कर प्रार्थीगण को बुलवा लिया जावेगा । लेकिन उक्त निर्णय व डिक्री बाबत् अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को सूचना नहीं दी गई । प्रार्थीगण द्वारा जब दिनांक 9.5.2016 को अपने प्रकरण की जानकारी करने बाबत् अभिभाषक से संपर्क किया तब अधिवक्ता द्वारा बताया कि उनके मुकदमें का निर्णय दिनांक 30.12.2015 को हो चुका है जिस पर प्रार्थीगण ने उसी दिन प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 10.5.2016 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेजात एकत्रित कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का भली–भांति परीक्षण कर वादीगण/अपीलांटस का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ

विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ख्सरा नंबर 170 रकबा 0.25 है0 की आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा आराजी खसरा नंबर 169 रकबा 0.29 है0 सिवायचक दर्ज है । जबकि खसरा नंबर 169 रकबा 0.29 है0 में 0.03 बिस्वा भूमि गै0मु0चाह दर्ज होकर शेष रकबा 0.26 है0 सिवायचक दर्ज होना चाहिये था । विद्वान अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर 160 रकबा 0.29 है0 में से 0.03 बिस्वा भूमि को गै0मु0 चाह दर्ज करने के आदेश तथा शेष रकबा 0.26 है0 को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये है । इसी प्रकार विद्वान अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर 170 बाबत् अपीलांटस/वादीगण का वाद खारिज किया है क्योंकि उक्त खसरा नंबर का रकबा 0.25 है0 पूर्व से ही वादीगण/अपीलांटस के नाम खातेदारी से दर्ज है । अपीलांटस ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि पूर्व में अपीलांटस/वादीगण के नाम खसरा नंबर 170 का रकबा 0.50 है0 दर्ज रहा हो । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार, मौजमाबाद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूद का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर